प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.01.2025

सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम (कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान आयुष होटल कौशाम्बी में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 07 पीड़ित महिलाओं को रेस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 08 अभियुक्तगण(संचालक/मैंनेजर) सहित व 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) गिरफ्तार, कब्जे से 01 स्केनर, 01 रजिस्टर व आपत्तिजनक सामग्री बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 21.01.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम (कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा रात्रि में सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि आयुष होटल कौशाम्बी में चल रहे में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है। जिसमें भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम (कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा आयुष होटल कौशाम्बी में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 07 पीड़ित महिलाओं को रेस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 08 अभियुक्तगण 1. सागर सिंह नेगी पुत्र अर्जुन सिंह नेगी(संचालक/मैंनेजर) निवासी ग्राम सरासू थाना सतपुली जनपद पोंढी गढ़वाल उम्र करीब 30 वर्ष, 2. अजय कुमार पुत्र राधाशरण(ग्राहक) निवासी हाल गाजीपुर,294 सब्जी मण्डी थाना गाजीपुर दिल्ली मूल निवासी ग्राम लाडपुर थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 30 वर्ष, 3. रमेश कुमार पुत्र भगतराम(ग्राहक) निवासी दुकान 294 गाजीपुर सब्जी मण्डी गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष, 4. धर्मवीर पुत्र वीरेन्द्र सिंह(ग्राहक) निवासी म0न0 137 गली न0 4 वेस्ट विनोद नगर मण्डावली थाना मण्डावली दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष, 5. संदीप कुमार पुत्र स्व0 शेर सिंह(ग्राहक) निवासी 17/203 कल्याणपुरी III फ्लोर थाना कल्यानपुरी दिल्ली मूल निवासी ग्राम बरतोली थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर उम्र करीब 34 वर्ष, 6. विशाल पुत्र सावन कुमार(ग्राहक) निवासी 3/266 त्रिलोकपुरी थाना कल्यानपुरी दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष, 7. यतेन्द्र कुमार पुत्र रविन्द्र(ग्राहक) निवासी सन्डे मार्किट शिवप्रसाद का मकान खोडा कालोनी गाजियाबाद मूल पता अजीतमल थाना अजीतमल औरैया उम्र करीब 22 वर्ष, 8. गोविन्द कुमार पुत्र जे0पी0 गुप्ता(ग्राहक) निवासी म0न0 3907 गली बडवाली चाबडी बाजार थाना हौज खास दिल्ली 6 उम्र करीब 62 वर्ष व 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) को से 01 स्केनर, 01 रजिस्टर व आपत्तिजनक सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण:- । गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्ता उपरोक्त व पीड़ित महिलाओं से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि संचालक व संचालिक द्वारा अनैतिक कमाई करने के लालच से रैस्क्यू महिलाओं

से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते है, संचालिका व संचालक द्वारा महिलाओं को काम दिलाने व पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से भारी धनराशि लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. सागर सिंह नेगी पुत्र अर्जुन सिंह नेगी(संचालक/मैंनेजर) निवासी ग्राम सरासू थाना सतपुली जनपद पोंढी गढ़वाल उम्र करीब 30 वर्ष।
2. अजय कुमार पुत्र राधाशरण(ग्राहक) निवासी हाल गाजीपुर,294 सब्जी मण्डी थाना गाजीपुर दिल्ली मूल निवासी ग्राम लाडपुर थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस उम्र करीब 30 वर्ष।
3. रमेश कुमार पुत्र भगतराम(ग्राहक) निवासी दुकान 294 गाजीपुर सब्जी मण्डी गाजीपुर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।
4. धर्मवीर पुत्र वीरेन्द्र सिंह(ग्राहक) निवासी म0न0 137 गली न0 4 वेस्ट विनोद नगर मण्डावली थाना मण्डावली दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष।
5. संदीप कुमार पुत्र स्व0 शेर सिंह(ग्राहक) निवासी 17/203 कल्याणपुरी III फ्लोर थाना कल्यानपुरी दिल्ली मूल निवासी ग्राम बरतोली थाना खुर्जा देहात बुलन्दशहर उम्र करीब 34 वर्ष।
6. विशाल पुत्र सावन कुमार(ग्राहक) निवासी 3/266 त्रिलोकपुरी थाना कल्यानपुरी दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।
7. यतेन्द्र कुमार पुत्र रविन्द्र(ग्राहक) निवासी सन्डे मार्किट शिवप्रसाद का मकान खोडा कालोनी गाजियाबाद मूल पता अजीतमल थाना अजीतमल औरैया उम्र करीब 22 वर्ष।
8. गोविन्द कुमार पुत्र जे0पी0 गुप्ता(ग्राहक) निवासी म0न0 3907 गली बडवाली चाबडी बाजार थाना हौज खास दिल्ली 6 उम्र करीब 62 वर्ष।
9. अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर)।

बरामदगी का विवरण:-

01 स्केनर, 01 रजिस्टर व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियुक्ता उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम (कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से एक चोरी की महेन्द्रा पिकअप बरामद।

दिनांक 22.01.2025 को वादी श्री आसिफ पुत्र श्री नूर अहमद निवासी म0न0 2 गली न0 4 इस्लामनगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद द्वारा थाने पर सूचना दी कि कुछ अज्ञात चोरों द्वारा शिव पार्किंग के पास से मेरी गाडी महिन्द्रा पिकअप न0 UP14JT2317 चोरी हो गयी ।जिनके संबंध में थाने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 22.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर नगर निगम खाली मैदान पुस्ता रोड से, 02 शातिर चोरो को मय महिन्द्रा पिकअप न0 UP14JT2317 सहित गिरफ्तार किया गया। अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण से पूछताछ पर बताया कि हम दोनो आसिफ के यहाँ काम करते थे हमारा आसिफ से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। हमने अपने मालिक को सबक सिखाने के लिए उपरोक्त गाडी चोरी कर लिया था आज एक व्यक्ति को हम उक्त गाडी बेचने के लिए जा रहे थे कि आपने पकड लिया।

अभियुक्तगण का नाम व पता--

1. प्रवीण कुमार उर्फ भोलू पुत्र सोन पाल निवासी म0न0 508 गली न0 5 सेवा नगर थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष
2. नेपाल सिंह पुत्र विष्णु सिंह निवासी ग्राम माहू गन्धौर थाना हिमपुरदीपा जनपद बिजनौर उम्र 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त प्रवीन कुमार उर्फ भोलू उपरोक्त के विरूद्ध थाना सिहानी गेट पर एक अभियोग आर्म्स एक्ट संबंधि व एक अभियोग चोरी संबंधि तथा थाना नन्दग्राम पर एक अभियोग चोरी संबंधी कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त नेपाल सिंह के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर एक अभियोग चोरी संबंधि पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

महेन्द्रा पिकअप बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 21.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. रिहान पुत्र सरीफ निवासी राशिद गेट अमन गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष 2. मोहम्मद सोनू पुत्र इलियास निवासी बब्लू गार्डन नियर अमन गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को लावण्या फार्म हाउस के सामने से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने यह मोटरसाइकिल मौका पाकर गोविन्दपुरी दिल्ली से चोरी की थी। जिसे हमने अबतक छिपा कर रखा था। हम इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. रिहान पुत्र सरीफ निवासी राशिद गेट अमन गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।
2. मोहम्मद सोनू पुत्र इलियास निवासी बब्लू गार्डन नियर अमन गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध दिल्ली में उक्त वाहन चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 20.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा पूजा कॉलोनी ट्रोनिका सिटी के पास से वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 21.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वाहन चोरी की घटना का अनावरण करते हुए चेकिंग के दौरान अभियुक्त साहिल खान उर्फ इसराईल पुत्र यासीन निवासी खानका वाली गली पुनीत एनक्लेव पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष को घिटौरा से अगरौला वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल मौका पाकर पूजा कॉलोनी ट्रोनिका सिटी से चोरी की थी। मैं इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने लिए ग्राहक की तलाश में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

साहिल खान उर्फ इसराईल पुत्र यासीन निवासी खानका वाली गली पुनीत एनक्लेव पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाईल व 1200/- रूपये बरामद।

दिनांक 21.01.2025 वादी श्री कृष्णा पुत्र श्री गजेन्द्र चतुर्वेदी निवासी हनुमान मंदिर शालीमार गार्डन थाना ट्रांस हिण्डन गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरा मोबाईल अज्ञात चोर द्वारा रैपिड मेट्रो स्टेशन के पास से चोरी कर लिया था। जिसके संबंध थाना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 22.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर हिन्डन मेट्रो के पास पुस्ता रोड के नीचे खाली पडे मैदान से, 02 शातिर चोरो को मय चोरी का मोबाईल लावा रंग नीला IMEI NO 353222585591574 व 1200/- सहित गिरफ्तार किया गया। , अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण से पूछताछ पर दोनो ने बताया कि हम दोनो ने यह फोन रैपिड मेट्रो स्टेशन के पास से दुकान पर पानी पी रहे एक व्यक्ति की जेब से चोरी किया था। उक्त मोबाईल को आज हम बेचने के लिए किसी ग्राहक के इंतजार में खडे थे , कि तभी आपने हमें पकड लिया।

अभियुक्तगण का नाम व पता--

1. मनीष कुमार पुत्र कैलाश कुमार निवासी अखाडे वाली गली गोकुलपुरी दिल्ली-94 उम्र-24 वर्ष
2. भरत पुत्र रणबीर निवासी डी 78/2 गंगाविहार गली नं0-4 गोकुलपुरी दिल्ली-94

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मनीष कुमार के विरूद्ध जिला हमीरपुर थाना सुमेरपुर 02 अभियोग चोरी संबंधी व थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर 01 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त भरत के विरूद्ध थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर 01 अभियोग चोरी संबंधी पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

मोबाईल व 1200/- रूपये बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.01.2025 को थाना मुरादनगर पर आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदिका की पुत्री जिसके पति की करीब 03 माह पूर्व कैंसर से मृत्यु हो गयी थी जिसके उपरान्त ससुरालीजन द्वारा आवेदिका की पुत्री के

साथ पूर्व में मारपीट करना व आवेदिका की पुत्री को मारकर शव को पंखे पर लटका देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 103(1)/115(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन व मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस का लोप किया गया तथा मृतका को आत्महत्या के लिये मजबूर करने के साक्ष्यों के आधार पर धारा 108 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 22.01.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नीरज पुत्र मुन्ना निवासी भदोली थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष को मकरैडा से भदौली जाने वाले रास्ते पर पीर के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे भाई धीरज की शादी सन् 2020 में मृतका से हुई थी। मेरा भाई धीरज दिल्ली एमसीडी मे सफाई कर्मी की नौकरी करता था। मेरा भाई अपनी पत्नी के साथ अलग मकान में रहता था तथा मेरे भाई की करीब 03 माह पहले कैंसर की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। मैं अपने बच्चों के साथ अलग घर में रहता हूँ। मेरे भाई की मृत्यु के बाद भाई की पत्नी अधिक समय अपने मायके में रही थी। वह घटना से 07 – 08 दिन पहले ही अपने घर पर आयी थी और उसका हमसे कहासुनी/झगड़ा हो गया था इस बात को लेकर एक दिन उसने खुद को फांसी लगा ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज पुत्र मुन्ना निवासी भदोली थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 31 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-पंजीकृत अभियोग/

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।